

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी (अनाज) कोटा

क्रमांक :- 1201

दिनांक :- 04/03/2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

नयापुरा, कोटा

प्रसंग :- क्रमांक 8004 दिनांक 31.08.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

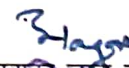
यूजर एजेन्सी का नाम :- KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Kota District and kota Division

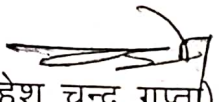
प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

2	In the recommendations of the Nodal Officer and the State Government, it has been mentioned that the proposal may be accepted for approval subject to the condition that the Hon'ble Supreme Court has given direction in the FCA proposal Development of NH 76 East West Corridor in Kota District (Final sanctioned on 6.7.2007) to maintain green belt on both the sides of the Kota bypass up to 1 km. In this regard an unconditional recommendation is required from the State Government.	प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के पत्रांक 3788 दिनांक 19.12.2022 एवं उप वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 11555 दिनांक 20.12.2022 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट विकास स्थल के स्थान पर कोटा बाईपास के दक्षिण में 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर डाढ़देवी वनक्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा सकता है जिससे अधोहस्ताक्षरकर्ता सहमत है। उक्त अनुशंसा संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा पूर्व में नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. जयपुर को भिजवा दी गई है। जिसकी स्वीकृति नोडल अधिकारी व राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
3	The State Government shall clarify as to how the Govt. of India can relax the condition imposed by the Hon'ble Court order dated 08.12.2006. The clarification along with the certified copies of the CEC recommendation dated 30.11.2006, Hon'ble Supreme Court Order dated 08.12.2006 and all other relevant details pertaining to the project shall be furnished.	उपरोक्त बिन्दु राज्य सरकार से संबंधित है। जिसकी स्वीकृति नोडल अधिकारी व राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।


(सचिव, नयापुरा नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

तथ्यात्मक प्रतिवेदन
प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट शिफ्ट करने बाबत।

एन0एच0-76 सेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण हेतु कोटा जिले की 111.637 हैक्टर वनभूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ0सी0डिवीजन नई दिल्ली के पत्रांक F.No.8-3/2006-FC Date 06.07.2007 के द्वारा किया गया था। उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 5 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कोटा बाई पास के दोनों तरफ हरित पट्टी विकसित करने हेतु वृक्षारोपण किया जाना था। चूंकि ग्रीन बेल्ट विकास हेतु निर्देशित स्थल पथरीला व चट्टानी होने से वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं हो पाया। अब ग्रीन बेल्ट हेतु प्रस्तावित इसी क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी के विस्तार हेतु वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित किया गया जिस हेतु कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के पत्रांक 3788 दिनांक 19.12.2022 एवं उप वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 11555 दिनांक 20.12.2022 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट विकास स्थल के स्थान पर कोटा बाईपास के दक्षिण में 1 कि०मी० से अधिक दूरी पर ढाडदेवी वनक्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा सकता है। जिससे अधोहस्ताक्षकर्ता सहमत है।


(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा